भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1094
दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) निधि

1094. डॉ॰ संजीव कुमार शिंगरीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रदान की गई निधि का एनजीओ-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कतिपय एनजीओ द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए आशयित निधि के दुरुपयोग के मामले एनसीपीसीआर की जानकारी में आए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : जैसा कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एनसीपीसीआर द्वारा गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित निधियां प्रदान की गई हैं :

क्र.सं.	वर्ष	एनजीओ का नाम	राशि
1	2018-19	उद्यान केयर	147500/- (एक लाख सैंतालिस हजार पांच सौ रुपये मात्र)
		कायमे ऑफ सोशल डेवलपमेंट	283200/- (दो लाख तेरासी हजार दो सौ रुपये मात्र)
2	2019-20	शिखा संस्कृति उत्थान न्यास	300000/- (तीन लाख रुपये मात्र)
		इंदौर सायकलिंग एसोशिएसन	300000/- (तीन लाख रुपये मात्र)
3	2020-21	शून्य	शून्य

(ख) और (ग) : एनसीपीसीआर द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

****